रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-29022024-252476 CG-DL-E-29022024-252476

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 121] No. 121] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 28, 2024/फाल्गुन 9, 1945

NEW DELHI, , WEDNESDAY, FEBRUARY 28, 2024/PHALGUNA 9, 1945

### प्रसार भारती

# (भारतीय प्रसारण निगम)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2024

- सं. ए-10/178/2012-पीपीसी/पीबीआरबी(1).—प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) की धारा 11 की उप-धारा (4) के साथ पठित धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) इसके तहत, प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्राधिकारी विनियम 2012 में संशोधन करने के लिए नामत: निम्नलिखित विनियम बनाता है:-
- 1. (1) इन विनियमों को प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अनुशासनात्मक कार्यवाही प्राधिकरण (संशोधन) विनियम, 2024 कहा जाएगा।
  - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) की अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के लिए प्राधिकारी विनियम, 2012 के विनियम 3 की सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जाए, नामत: -

1364 GI/2024 (1)

# सारणी

क्र.सं.	पदों का वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	अनुशासनात्मक प्राधिकारी।	अपीलीय प्राधिकारी।	पुनरीक्षण प्राधिकारी।	समीक्षा प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	समूह 'क', वेतन मैट्रिक्स में लेवल-10 और उससे ऊपर।	प्रसार भारती बोर्ड के कार्यकारी सदस्य या कार्यकारी सदस्य का पद रिक्त होने या उनकी अनुपस्थिति में, प्रधान महानिदेशक, प्रेस सूचना ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, या यदि दोनों पद रिक्त हैं, या दोनों की अनुपस्थिति में, प्रधान महानिदेशक, केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय अनुशासनात्मक प्राधिकारी होंगे।	एक समिति जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं-:  (i) अध्यक्ष, प्रसार भारती बोर्ड या यदि अध्यक्ष का पद रिक्त है या उनकी अनुपस्थिति में, प्रधान महानिदेशक, समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी या दोनों पदों के रिक्त होने के मामले में या दोनों की अनुपस्थिति में प्रधान महानिदेशक, द्रप्दर्शन समाचार - अध्यक्ष;	प्रसार भारती बोर्ड।	केंद्र सरकार
			(ii) सदस्य (वित्त), प्रसार भारती बोर्ड या सदस्य (वित्त) का पद रिक्त होने या उनकी अनुपस्थिति में, महानिदेशक (आकाशवाणी) या महानिदेशक (दूरदर्शन) या		

			महानिदेशक,		
			समाचार सेवा		
			प्रभाग,		
			आकाशवाणी या		
			महानिदेशक,		
			दूरदर्शन समाचार		
			या संयुक्त सचिव,		
			सूचना और		
			प्रसारण मंत्रालय		
			- सदस्य;		
			(iii) सदस्य (कार्मिक),		
			प्रसार भारती		
			बोर्ड या सदस्य		
			(कार्मिक) का पद		
			रिक्त होने या		
			उनकी		
			अनुपस्थिति में,		
			महानिदेशक		
			(आकाशवाणी) या		
			महानिदेशक		
			(दूरदर्शन) या		
			महानिदेशक,		
			समाचार सेवा		
			प्रभाग,		
			आकाशवाणी या		
			महानिदेशक,		
			दूरदर्शन समाचार		
			या संयुक्त सचिव,		
			सूचना और		
			प्रसारण मंत्रालय -		
			सदस्य।		
2.	समूह 'ख',	(i) आकाशवाणी में	प्रसार भारती बोर्ड के	एक समिति जिसमें	केंद्र सरकार
	वेतन मैट्रिक्स	तैनात	कार्यकारी सदस्य या	निम्नलिखित शामिल हैं-:	
	में लेवल -6 से	अधिकारियों	कार्यकारी सदस्य का	(i) अध्यक्ष, प्रसार भारती	
	लेवल -9	और कर्मचारियों	पद रिक्त होने या	बोर्ड या यदि अध्यक्ष का	
		के लिए,	उनकी अनुपस्थिति	पद रिक्त है या उनकी	
		महानिदेशक	में, प्रधान	अनुपस्थिति में, प्रधान	
		(आकाशवाणी)	महानिदेशक, प्रेस	महानिदेशक, समाचार	
		या महानिदेशक	सूचना ब्यूरो, सूचना	सेवा प्रभाग, आकाशवाणी	
		(आकाशवाणी)	और प्रसारण	या दोनों पदों के रिक्त	
		का पद रिक्त	मंत्रालय, या यदि	होने के मामले में या दोनों	
		होने या उनकी	दोनों पद रिक्त हैं, या	की अनुपस्तिथि में प्रधान	
		अनुपस्थिति में,	दोनों की अनुपस्थिति	महानिदेशक दूरदर्शन	

महानिदेशक (दूरदर्शन) या यदि दोनों पद रिक्त हैं, या दोनों की अनुपस्थिति में, प्रधान महानिदेशक, समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी या महानिदेशक, समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी या जहां सभी पूर्ववर्ती पद रिक्त हैं या सभी की अनुपस्थिति में प्रधान महानिदेशक, दूरदर्शन समाचार या महानिदेशक, दूरदर्शन समाचार, अनुशासनात्मक प्राधिकारी होंगे

(ii) दूरदर्शन में
तैनात
अधिकारियों
और कर्मचारियों
के लिए,
महानिदेशक
(दूरदर्शन) या
महानिदेशक
(दूरदर्शन) का
पद रिक्त होने
या उनकी
अनुपस्थिति में,
महानिदेशक
(आकाशवाणी)

में, प्रधान महानिदेशक, केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपीलीय प्राधिकारी होंगे।

समाचार - अध्यक्ष;

- (ii) सदस्य (वित्त), प्रसार भारती बोर्ड या सदस्य (वित्त) का पद रिक्त होने या उनकी अनुपस्थिति में, महानिदेशक (आकाशवाणी) या महानिदेशक (दूरदर्शन) या महानिदेशक, समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी या महानिदेशक, दूरदर्शन समाचार या संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय -सदस्य;
- (iii) सदस्य (कार्मिक), प्रसार भारती बोर्ड या सदस्य (कार्मिक) का पद रिक्त होने या उनकी अनुपस्थिति में, महानिदेशक (आकाशवाणी) या महानिदेशक (दूरदर्शन) या महानिदेशक, समाचार सेवा प्रभाग. आकाशवाणी या महानिदेशक, दूरदर्शन समाचार या संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय -सदस्य।

<u></u>	
	या यदि दोनों
	पद रिक्त हैं, या
	दोनों की
	अनुपस्थिति में,
	प्रधान
	महानिदेशक,
	दूरदर्शन
	समाचार या
	महानिदेशक,
	दूरदर्शन
	समाचार या
	यदि सभी
	पूर्ववर्ती पद
	रिक्त हैं, या
	सभी की
	अनुपस्थिति में,
	प्रधान
	महानिदेशक,
	समाचार सेवा
	प्रभाग,
	आकाशवाणी या
	महानिदेशक,
	समाचार सेवा
	प्रभाग,
	आकाशवाणी,
	अनुशासनात्मक
	प्राधिकारी होंगे;
	(;;;) <del>1, 1, 1, 1</del>
	(iii) प्रसार भारती
	सचिवालय, में
	तैनात अधिकारियों
	और कर्मचारियों
	के लिए सदस्य
	(कार्मिक),
	प्रसार भारती बोर्ड या सदस्य
	(कार्मिक) का
	पद रिक्त होने या उनकी
	अनुपस्थिति में,
	सदस्य (वित्त),
	प्रसार भारती
	बोर्ड या यदि

		1			ı		
			दोनों पद रिक्त				
			हैं, या दोनों की				
			अनुपस्थिति में,				
			संयुक्त सचिव,				
			सूचना और				
			प्रसारण				
			मंत्रालय				
			अनुशासनात्मक				
			प्राधिकारी होंगे।				
3.	समूह 'ग' ,	(i)	स्टेशनों या केंद्रों	(i) किसी स्टेशन या		(i) आकाशवाणी में तैनात	केंद्र सरकार"
	वेतन मैट्रिक्स		पर तैनात	केंद्र में तैनात		कर्मचारियों के लिए,	
	में लेवल-1 से		कर्मचारियों के	कर्मचारियों के		महानिदेशक	
	लेवल-5		लिए, वरिष्ठ	लिए, संबंधित		(आकाशवाणी) या	
	, , , ,		समयमान या	क्षेत्रीय अपर		महानिदेशक -	
			उस से ऊपर के	महानिदेशक या		(आकाशवाणी) का पद	
			स्तर के स्टेशन	संबंधित क्षेत्रीय		रिक्त होने या उनकी	
			या केंद्र प्रमुख	अपर महानिदेशक	.	अनुपस्थिति में,	
			या यदि स्टेशन	का पद रिक्त है या		जनुपास्यात म, महानिदेशक (दूरदर्शन)	
			प्रमुख या केंद्र	उनकी अनुपस्थिति <del>वे च चंदिन</del>	1	या यदि दोनों पद रिक्त हैं,	
			प्रमुख का पद	में या संबंधित		या दोनों की अनुपस्थिति	
			रिक्त है या	क्षेत्रीय अपर		में, प्रधान महानिदेशक,	
			उनकी	महानिदेशक के पर	₹	समाचार सेवा प्रभाग,	
			अनुपस्थिति में	का पदधारी		आकाशवाणी या	
			या अधिकारी	वर्तमान ड्यूटी		महानिदेशक, समाचार	
			वर्तमान ड्यूटी	प्रभार पर है या प	द	सेवा प्रभाग, आकाशवाणी	
			प्रभार धारण	पर नहीं है, तो		या ऐसे मामले में जहां	
			कर रहा है या	अपर महानिदेशक	,	सभी पूर्ववर्ती पद रिक्त हैं	
			अधिकारी वरिष्ठ	आकाशवाणी या		या सभी की अनुपस्थिति	
			समयमान से	अपर महानिदेशक	,	में प्रधान महानिदेशक,	
			नीचे है, उसी	दूरदर्शन, जैसा भी		दूरदर्शन समाचार या	
			जोन में किसी	मामला हो, जो उर		महानिदेशक, दूरदर्शन	
			अन्य स्टेशन या	क्षेत्र के कार्य का		समाचार, पुनरीक्षण	
			केंद्र पर वरिष्ठ	पर्यवेक्षण कर रहे है	<del>ह</del> े.	प्राधिकारी होंगे;	
			समयमान या	अपीलीय	<b>√</b> ,		
			उससे ऊपर के	प्राधिकारी होंगे;		(ii)  दूरदर्शन में तैनात	
			स्तर के स्टेशन	तालगारा हाग,		(॥)      दूरदशन में तनात कर्मचारियों के लिए,	
			प्रमुख या केंद्र	(ii) प्रसार भारती के		कम पारिया के लिए, महानिदेशक (दूरदर्शन)	
			-	(॥) प्रसार भारता क किसी अन्य			
			प्रमुख अनुभारानाम	प्रतिष्ठान में तैनात		या महानिदेशक	
			अनुशासनात्मक <del>पर्यक्रिक्टी केंके</del>			(दूरदर्शन) का पद रिक्त	
			प्राधिकारी होंगे;	कर्मचारियों के लि		होने या उनकी	
		,		अपर महानिदेशक		अनुपस्थिति में,	
		(ii)	प्रसार भारती के	स्तर के अधिकारी		महानिदेशक 	
			किसी अन्य	अपीलीय		(आकाशवाणी) या यदि	
			प्रतिष्ठान में	प्राधिकारी होंगे।		दोनों पद रिक्त हैं, या	

तैनात	दोनों की अनुपस्थिति
कर्मचारियों के	में, प्रधान महानिदेशक,
लिए वरिष्ठ	दूरदर्शन समाचार या
समयमान या	महानिदेशक, दूरदर्शन
उस से ऊपर के	समाचार या यदि सभी
स्तर के	पूर्ववर्ती पद रिक्त हैं, या
अधिकारी	सभी की अनुपस्थिति
अनुशासनात्मक	में, प्रधान महानिदेशक,
प्राधिकारी होंगे।	समाचार सेवा प्रभाग,
	आकाशवाणी या
	महानिदेशक, समाचार
	सेवा प्रभाग,
	आकाशवाणी,
	पुनरीक्षण प्राधिकारी
	होंगे;
	. ,
	(iii) प्रसार भारती
	सचिवालय में तैनात
	कर्मचारियों के लिए
	सदस्य (कार्मिक),
	प्रसार भारती बोर्ड या
	सदस्य (कार्मिक) का पद
	रिक्त होने या उनकी
	अनुपस्थिति में सदस्य
	(वित्त), प्रसार भारती
	बोर्ड या दोनों पदों के
	रिक्त होने या दोनों की
	अनुपस्थिति में संयुक्त
	सचिव, सूचना और
	प्रसारण मंत्रालय
	पुनरीक्षण प्राधिकारी
	पुनराक्षण प्रााधकार। होंगे ।
	हागा

शशि कांत, अपर महानिदेशक

[विज्ञापन III/4/असा./774/2023-24]

टिप्पणी : प्रमुख विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, धारा 4 में दिनांक 19 नवंबर, 2012 के संख्या ए -10/178/2012-पीपीसी के तहत प्रकाशित किए गए थे और बाद में दिनांक 17 अगस्त, 2021 के संख्या ए-10/178/2012-पीपीसी/ पीबीआरबी द्वारा संशोधित किए गए थे।

### PRASAR BHARATI

### (Broadcasting Corporation of India)

## NOTIFICATION New Delhi, the 28<sup>th</sup> February, 2024.

**No. A-10/178/2012-PPC/PBRB(1).**—In exercise of the powers conferred by section 33 read with sub-section (4) of section 11 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990), the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) hereby makes the following regulations to amend the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India), Authorities for Disciplinary Proceedings Regulations, 2012, namely:-

- 1. (1) These Regulations may be called the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Authorities for Disciplinary Proceedings (Amendment) Regulations, 2024.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Authority for Disciplinary Proceedings Regulations, 2012, in regulation 3, for the Table, the following Table shall be substituted, namely:-

### **TABLE**

Sl.	Classification of	Disciplinary Authority.	Appellate Authority.	Revising Authority.	Reviewing
No.	posts and level				Authority.
	in pay matrix.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Group 'A',	Executive Member of	A committee consisting	Prasar Bharati Board.	Central
	level-10 and	the Prasar Bharati Board	of:-		Government.
	above in the pay	or in case the post of	(i) Chairman, Prasar		
	matrix.	Executive Member is	Bharati Board or in		
		vacant or in his absence,	case the post of		
		the Principal Director	Chairman is vacant or		
		General, Press	in his absence, the		
		Information Bureau,	Principal Director		
		Ministry of Information	General, News		
		and Broadcasting, or in	Service Division,		
		case where both the	Akashvani, or in case		
		posts are vacant, or in	where both the posts		
		the absence of both, the Principal Director	are vacant, or in the absence of both, the		
		Principal Director General, Central Bureau	· ·		
		of Communication,	Principal Director General, Doordarshan		
		Ministry of Information	News - Chairperson;		
		and Broadcasting, shall	riews - Champerson,		
		be the Disciplinary	(ii) Member (Finance),		
		Authority.	Prasar Bharati Board		
		rudionty.	or in case the post of		
			Member (Finance) is		
			vacant or in his		
			absence, the Director		
			General (Akashvani)		
			or the Director		
			General		
			(Doordarshan) or the		
			Director General,		
			News Service		
			Division, Akashvani		
			or the Director		
			General, Doordarshan		

			News or Joint		
			Secretary, Ministry of		
			Information and		
			Broadcasting -		
			Member;		
			(iii) Member (Personnel),		
			Prasar Bharati Board		
			or in case the post of		
			Member (Personnel)		
			is vacant or in his		
			absence, the Director		
			General (Akashvani)		
			or the Director		
			General		
			(Doordarshan) or the		
			Director General,		
			News Service		
			Division, Akashvani		
			or the		
			Director General,		
			Doordarshan News		
			or Joint Secretary,		
			Ministry of		
			Information and		
			Broadcasting -		
			Member.		
2.	Group 'B',	(i) for officers and	Executive Member of	A committee	Central
	level-6 to	employees posted in	the Prasar Bharati	consisting of:-	Government.
	level-9 in the	Akashvani, the	Board or in case the	(i) Chairman,	
	pay matrix.	Director General	post of Executive	Prasar Bharati	
		(Akashvani) or in	Member is vacant or in	Board or in	
		case the post of	his absence, the	case the post of	
		Director General	Principal Director	Chairman is	
		(Akashvani) is	General, Press	vacant or in his	
		vacant or in his	Information Bureau,	absence, the	
		absence, the	Ministry of Information	Principal	
		Director General	and Broadcasting, or in	Director	
		(Doordarshan) or in	case where both the	General, News	
		case where both the	posts are vacant, or in	Service	
		posts are vacant, or	the absence of both, the	Division,	
		in the absence of	Principal Director	Akashvani, or	
		both, the Principal	General, Central Bureau	in case where	
		Director General,	of Communication,	both the posts	
		News Service	Ministry of Information	are vacant, or in	
		Division, Akashvani	and Broadcasting, shall	the absence of	
1		or the Director	be the Appellate	both, the	
		General, News Service Division,	Authority.	Principal Director	
		Akashvani or in case		General,	
		where all the		Doordarshan	
		preceding posts are		News -	
		vacant or in the		Chairperson;	
		absence of all, the		Champerson,	
		Principal Director		(ii) Member	
				(11) IVICIIIUUI	1
				1 1	
		General,		(Finance),	
				1 1	

General, case the post of Doordarshan News, Member shall be the (Finance) Disciplinary vacant or in his Authority; absence, (ii) for officers Director and employees posted in General Doordarshan, the (Akashvani) or Director Director General the (Doordarshan) or in General case the post of (Doordarshan) General or the Director Director (Doordarshan) is General, News vacant or in his Service absence, the Division, Director Akashvani General or (Akashvani) or in the Director case where both the General. Doordarshan posts are vacant, or in the absence of News or Joint both, the Principal Secretary, Director General, Ministry of Doordarshan News Information the Director and General, Broadcasting -Doordarshan News Member; or in case where all the preceding posts (iii) Member are vacant, or in the (Personnel), absence of all, the Prasar Bharati Principal Director Board or in General, News case the post of Service Division, Member Akashvani or the (Personnel) is Director General, vacant or in his News Service absence, the Division, Akashvani, Director shall be the General Disciplinary (Akashvani) or Authority; the Director (iii) for officers General and employees posted in (Doordarshan) or the Director Prasar Bharati Secretariat, Member General, News (Personnel), Prasar Service Bharati Board or in Division, case the post of Akashvani or Member (Personnel) the Director is vacant or in his General. absence. Member Doordarshan (Finance), Prasar News or Joint Bharati Board or in Secretary, case where both the Ministry of posts are vacant, or Information in the absence of and both, Joint Secretary, **Broadcasting** Ministry - Member. of

Information

and

	Ī	1	D1	1		1		<del>                                     </del>
1			- ·					
3.	Group'C', level-1 to level-5 in the pay matrix.	(ii)	Broadcasting, shall be the Disciplinary Authority.  for employees posted at Stations or Kendras, the Station or the Kendra Head of the level of Senior Time Scale or above or in case the post of Station Head or Kendra Head is vacant or in his absence or the officer is holding current duty charge or the officer is a level below the Senior Time Scale, Station Head or Kendra Head of the Senior Time Scale or above level at another Station or Kendra in the same Zone shall be the Disciplinary Authority;  for the employees posted at any other establishment of Prasar Bharati, Officer of the level of Senior Time Scale or above, shall be the Disciplinary Authority.	(ii)	for employees posted at a Station or Kendra, the Zonal Additional Director General concerned or in case the post of Zonal Additional Director General concerned is vacant or in his absence or the incumbent of the post of Zonal Additional Director General concerned is on current duty charge or is not in position, the Additional Director General, Akashvani or the Additional Director General, Doordarshan, as the case may be, who is supervising the work of that Zone, shall be Appellate Authority;  for the employees posted at any other establishment of Prasar Bharati, Officer of the level of Additional Director General, shall be Appellate Authority.	(i)	posted in Akashvani, the Director General (Akashvani) or in case the post of Director General (Akashvani) is vacant or in his absence, the Director General (Doordarshan) or in case where both the posts are vacant, or in the absence of both, the Principal Director General, News Service Division, Akashvani or the Director General, News Service Division, Akashvani or in case where all the preceding posts are vacant or in the absence of all, the Principal Director General, News Service Division, Akashvani or in case where all the preceding posts are vacant or in the absence of all, the Principal Director General, Doordarshan News or the Director General, Doordarshan News, shall be the Revising	Central Government."
						(ii)	Doordarshan News, shall be the Revising Authority; for employees	
						,	posted in Doordarshan, the Director General	

	(Doordarshan)
	or in case the
	post of Director
	General
	(Doordarshan)
	is vacant or in
	his absence,
	the Director
	General
	(Akashvani) or
	in case where
	both the posts
	are vacant, or
	in the absence
	of both, the
	Principal
	Director
	General,
	Doordarshan
	News or the
	Director Gener
	al,
	aı, Doordarshan
	News or in case
	where all the
	preceding posts
	are vacant, or
	in the absence
	of all, the
	Principal
	Director
	General, News
	Service
	Division, Akas
	hvani or the
	Director
	General, News
	Service
	Division, Akas
	hvani, shall be
	the Revising
	Authority;
	(iii) for employees
	posted in
	Prasar Bharati
	Secretariat,
	Member
	(Personnel),
	Prasar Bharati
	Board or in
	case the post of
	Member
	(Personnel) is
	vacant or in his
	absence,
	Member
	(Finance),
	(гнансе),

 1	1	
		Prasar Bharati
		Board or in
		case where
		both the posts
		are vacant, or
		in the absence
		of both, Joint
		Secretary,
		Ministry of
		Information
		and
		Broadcasting,
		shall be the
		Revising
		Authority.

SHASHI KANT, Addl. Director General [ADVT.-III/4/Exty./774/2023-24]

**Note:** The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, *vide* number A-10/178/2012-PPC, dated 19<sup>th</sup> November, 2012 and were subsequently amended *vide* number A-10/178/2012-PPC/PBRB, dated 17<sup>th</sup> August, 2021.